भारतीय शिल्प संस्थान

जे–8, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर– 302 004

सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के रख–रखाव हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क 200.00 रूपये

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, 2025 दोपहर 02.00.बजे तक

निविदा खोलने की तिथि 29 अक्टूबर, 2025 को सांय 03.00 बजे

धरोहर राशि 20000/–रुपये

1. निविदादाता फर्म का नाम ....
2. कार्यालय का नाम पता मय फोन नं. ....

   ....
3. निवास स्थान का पता मय फोन नं. ....

   ....
4. निविदा हेतु धरोहर राषि रुपये .... डी.डी. नं. .... दिनांक .... संलग्न है।
5. अनुभव वर्ष .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. आयकर क्लियरेन्स, श्रम विभाग, पी.एफ., ई.एस.आई. का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. कार्य का स्थान– जयपुर
8. प्रतिमाह सामग्री एवं सभी करों सहित .... (अंके रूपये ....

   ....)

हस्ताक्षर

तिथि :–

स्थान :–

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में रुपये 20000/- Indian Institute of crafts and design के नाम डीमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता को निविदा शुल्क नगद या उस राशि का डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य होगा बिना निविदा शुल्क के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. सफल निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत राशि जमा करानी होंगी, जिसमें धरोहर राशि को समायोजित किया जा सकता है।
4. **निविदादाता को निविदा प्रस्तुत करते समय पिछले तीन माह के पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी.एस.टी. के रिटर्न/चालान मय रसीद के प्रस्तुत करने होंगे।**
5. निविदादाता को निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी जिस पर स्पष्ट रूप से निविदादाता का नाम, कार्य का नाम अंकित होना चाहिये।
6. निविदादाता को राजकीय कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में सीवरेज ट्रीटमेन्ट के कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होने आवश्यक है। अनुभव पत्र के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर 5 लाख होना आवश्यक है।
8. निविदादाता का रख–रखाव का ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा तदुपरान्त आपसी सहमति से ठेका बढ़ाया जा सकेगा।
9. निविदादाता प्लान्ट के संचालन के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अर्थात उसका वेतन एवं भत्ते निविदादाता के द्वारा देय होगा इसमें संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. निविदादाता द्वारा प्रत्येक मासिक बिल के साथ नियुक्त व्यक्ति को भुगतान किया गया वेतन, पी.एफ. ई.एस.आई. चालान मय ई.सी.आर. मासिक बिल के साथ जमा कराने होंगे।
11. **निविदादाता द्वारा प्लान्ट में लगी समस्त मशीनों एवं सस्थान में स्थित सीवरेज टैंको में लगे मड पम्पों के रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। यदि मशीनों एवं मड पम्पों में कोई भी खराबी होती है तो वों स्वयं द्वारा ठीक कराकर संचालन योग्य बनाना होगा।**
12. निविदादाता को प्लान्ट चालू हालत में संभलवाया जावेगा, अनुबन्ध समाप्ति पर उसी हालत में संस्थान को संभलवाने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

13. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी हमेशा साफ सुथरी पोशाक में रहेगा।
14. निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्लान्ट से साफ होकर आने वाले पानी में किसी प्रकार की बदबू/गन्दगी ना आवें।
15. निविदादाता द्वारा फिल्टर पानी की टेस्टिंग रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से देनी होगी।
16. सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में आने वाले कैमिकल, ऑयल आदि सभी निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
17. **निविदादाता द्वारा समस्त सीवरेज टैंकों एवं प्लान्ट के टैंकों की सफाई वर्ष में एक बार एंव आवश्यकतानुसार सफाई करनी होगी।**
18. **निविदादाता के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला कर्मचारी प्रत्येक दिवस 08 घण्टे एवं आवश्यकतानुसार उससे ज्यादा समय रूक कर प्लान्ट का संचालन करेगा।**
19. **प्लान्ट पर नियुक्त कर्मचारी यदि किसी दिवस अनुपस्थित रहता है तो अन्य व्यक्ति को प्लान्ट संचालन हेतु नियुक्त करना होगा। अर्थात् प्लान्ट किसी भी दिन बंद नहीं रहेगा प्लान्ट बंद होने पर 500/— प्रतिदिन शास्ति लगाई जावेगी एवं श्रम विभाग द्वारा जारी नियमों की पालना करनी होगी।**
20. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार निदेशक, भारतीय शिल्प संस्थन को होगा।
22. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर